Ombudsman
Fairness for all

निरोधक स्थलों की निगरानी

लोकपाल, निरोधक स्थलों की निगरानी क्यों करता है?

2007 में न्यूजीलैण्ड सरकार ने संयुक्त राश्ट्र के एक समझौते का अनुसमर्थन किया, जिसे 'यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरूद्ध संधिपत्र हेतु वैकल्पिक प्रोटोकॉल' या संक्षेप में ओपीसीएटी (व्छ।ज्) कहा गया।

निरोधक स्थलों पर यातना तथा क्रूर व्यवहार की रोकथाम के लिए अंतर्राश्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह समझौता, राज्यों को उनके दायित्व पूरे करने में सहायता हेतु गठित किया गया है।

निरोधक स्थलों पर किसी स्वतंत्र राश्ट्रीय संगठन द्वारा नियमित दौरों (विजिट) की प्रणाली स्थापित करना इस समझौते का ध्येय है।

इस संगठन को राश्ट्रीय निवारण प्रणाली या एनपीएम (छच्ड) का नाम दिया गया है।

लोकपाल की भूमिका

लोकपाल, निम्न के लिए राश्ट्रीय निवारण प्रणाली है:

- कारागार तथा न्यायालयी प्रकोश्ठ
- आप्रवासी निरूद्धता इकाईयां
- निरूद्धता के स्वास्थ्य एवं अक्षमता स्थल
- बाल कल्याण एवं संरक्षण आवास
- युवा न्याय आवास

निरोधक स्थलों की दषा और निरूद्ध किए गए लोगों से व्यवहार की निगरानी करना और सुधार हेतु सिफारिषें करना हमारी भूमिका में आता है।

लोकपाल को निरोधक स्थलों पर विजिट करने वाले निरीक्षकों द्वारा सहायता दी जाती है।

सभी संबंधित निरोधक स्थलों तथा निरूद्ध किए गए किसी भी व्यक्ति तक पहुंचने की हमें पूरी षक्ति प्राप्त है।

हम अपनी इच्छानुसार विजिट का समय और स्थान, तथा जिनसे बात करना चाहें, उन्हें चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

लोकपाल क्या पर्यवेक्षित करता है:

- व्यवहार। उदाहरण के लिए दुर्व्यवहार किए जाने, तन्हाई में रखे जाने, बल प्रयोग या प्रतिबंधित करने के कोई आरोप
- संरक्षण के उपाय। उदाहरण के लिए निरूद्ध लोगों की स ूचनाएं, षिकायत प्रक्रियाएं, रजिस्टर और अभिलेखों के रखरखाव।
- भौतिक दषाएं। उदाहरण के लिए सुविधाएं तथा रहने की दषाएं।
- गतिविधियां। उदाहरण के लिए परिवार और बाहरी दुनिया से संपर्क, खुले में व्यायाम, षिक्षा और आमोद–प्रमोद क्रियाकलाप।
- स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच।
- कर्मचारी! उदाहरण के लिए कर्मचारियों के स्तर, आचरण और प्रषिक्षण।

अन्य राश्ट्रीय निवारण प्रणालियां

- पुलिस द्वारा निरूद्ध किए गए लोग स्वतंत्र पुलिस आचरण प्राधिकरण से 0800 503 728 पर संपर्क करें। ईमेल–मदुनपजपमे/पचबंण्हवअजण्द
- बाल कल्याण एवं संरक्षण, तथा युवा न्याय आवासों के लिए, बाल आयुक्त से 0800 224 453 पर संपर्क करें। ईमेल–बीपसकतमद/वबबण्वतहण्द
- प्रतिरक्षी बल दण्डात्मक प्रतिश्ठानों के लिए सर्विस पैनल प्रतिश्ठान के निरीक्षक से (04) 498 6824 पर संपर्क करें। ईमेल– तवइमतजण्इल ूजमत.सनजउंद/द्कण्उपसण्द
- एनपीएम की गतिविधियों के समन्वय में मदद करने वाली केंद्रीय निवारण प्रणाली मानव अधिकार आयोग से 0800 496 877 पर संपर्क करें। ईमेल–infoline@hrc.co.nz

लोकपाल (ऑम्बड्समैन) से संपर्क करें

मुफ्त फोन: **0800 802 602**

www.ombudsman.parliament.nz

ईमेलरू
info@ombudsman.parliament.nz

डाक पतारू
PO Box 10152, Wellington 6143

फैक्सरू
(04) 471 2254

कार्यालय प ूछताछरू
8:30 बजे सुबह से 5:00 बजे षाम तक सोमवार से षुक्रवार

वेलिंगटन
लेवल 14, 70 दि टैरेस, वेलिंगटन, 6143

ऑकलैण्ड
लेवल 10, 55-65 षार्टलैण्ड स्ट्रीट, ऑकलैण्ड 1010

क्राइस्टचर्च
545 वाइराकेई रोड, हेयरवुड, क्राइस्टचर्च 8053